

भा. कृषि अनु. प- केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान  
करनाल-132001



Speed Post

फा.सं. पी.जी.ए/आर.टी.आई./2017/1889

दिनांक: 11.09.2017

12

श्री रघबीर सिंह सचदेवा,  
768/4, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी,  
करनाल- 132001 (हरियाणा)

**विषय:** आप के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई अपीलेंट अधिकारी जानकारी के से अपील के सन्दर्भ में।

आप के अपील पत्र दिनांक 22.8.2017 सूचना के अधिकार 2005 के तहत निदेशक/अपीलेट अधिकारी से मांगी गई सूचना के सन्दर्भ में निदेशक/अपील अधिकारी, के.मृ.ल.अनु.स., करनाल द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उनके द्वारा मांगे गये अपील के जानकारी/ सूचना उपलब्ध करायी जा रही है। जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:-

1. इन्होंने दिनांक 29.4.2014 से 30.6.2016 की समय अवधि के दौरान श्री नाथी राम, भूतपूर्व सहायक और श्री सुरेन्द्र मोहन, भूतपूर्व तकनीकी अधिकारी द्वारा हृदय रोग के ईलाज के दौरान डलवाए गए स्टंट के मैडिकल बिल की खर्च की स्वीकृति फोटो कापी मांगी गई है। जो इस प्रकार से है:-

i) श्री नाथी राम, भूतपूर्व सहायक द्वारा हृदय रोग के ईलाज का प्रस्तुत मैडिकल बिल के खर्च की स्वीकृति की छाया प्रति दी जा रही है।

ii) श्री सुरेन्द्र मोहन, भूतपूर्व तकनीकी अधिकारी ने दिनांक 29.4.2014 से 30.6.2016 की अवधि के दौरान हृदय रोग का ईलाज नहीं करवाया है।

iii) जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को अधिक भुगतान किया जा चुका है उनकी वसूली के भी आदेश किए जा चुके हैं। कापी संलग्न है।

2. श्री आर.एस.सचदेवा की पत्नी श्रीमति सुरिन्द्र कौर के आंख के ईलाज करवाने की आपातकाल चिकित्सा समिति की सिफारिश एवं दूसरी प्रशासनिक कमेटी की सिफारिश की प्रतिलिपियाँ पहले भी दी जा चुकी है। फिर भी दोनों समितियों की सिफारिश की फोटोप्रति संलग्न है।

अतः उपरोक्त के सन्दर्भ में आप को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप उपलब्ध करायी गयी सूचना का अधिकार 2005 के अपील में दिये गये जानकारी से भी सन्तुष्ट नहीं है तो आप कृपया दिनांक 26.09.2017 को सुबह 11.30 बजे, निदेशक/अपील अधिकारी के कार्यालय में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित हो कर जानकारी ले सकते हैं।

spl.  
निदेशक

अपीलेट अधिकारी



भा. कृषि अनु. प- केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान  
करनाल-132001

फा.सं. पी.जी.ए/आर.टी.आई./2017/  
दिनांक: 11.09.2017

✓ श्री रघबीर सिंह सचदेवा,  
768/4, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी,  
करनाल- 132001 (हरियाणा)

**विषय:** आप के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई अपील अधिकारी जानकारी के से अपील के सन्दर्भ में।

आप के अपील पत्र दिनांक 22.8.2017 सूचना के अधिकार 2005 के तहत निदेशक/अपीलेट अधिकारी से मांगी गई सूचना के सन्दर्भ में निदेशक/अपील अधिकारी, के.मृ.ल.अनु.स., करनाल द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उनके द्वारा मांगे गये अपील के जानकारी/ सूचना उपलब्ध करायी जा रही है। जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:-

1. इन्होंने दिनांक 29.4.2014 से 30.6.2016 की समय अवधि के दौरान श्री नाथी राम, भूतपूर्व सहायक और श्री सुरेन्द्र मोहन, भूतपूर्व तकनीकी अधिकारी द्वारा हृदय रोग के ईलाज के दौरान डलवाए गए स्टंट के मैडिकल बिल की खर्च की स्वीकृति फोटो कापी मांगी गई है। जो इस प्रकार से है:-


i) श्री नाथी राम, भूतपूर्व सहायक द्वारा हृदय रोग के ईलाज का प्रस्तुत मैडिकल बिल के खर्च की स्वीकृति की छाया प्रति दी जा रही है।

ii) श्री सुरेन्द्र मोहन, भूतपूर्व तकनीकी अधिकारी ने दिनांक 29.4.2014 से 30.6.2016 की अवधि के दौरान हृदय रोग का ईलाज नहीं करवाया है।

iii) जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को अधिक भुगतान किया जा चुका है उनकी वसूली के भी आदेश किए जा चुके हैं। कापी संलग्न है।

2. श्री आर.एस.सचदेवा की पत्नी श्रीमति सुरिन्द्र कौर के आंख के ईलाज करवाने की आपातकाल चिकित्सा समिति की सिफारिश एवं दूसरी प्रशासनिक कमेटी की सिफारिश की प्रतिलिपियाँ पहले भी दी जा चुकी है। फिर भी दोनों समितियों की सिफारिश की फोटोप्रति संलग्न है।

अतः उपरोक्त के सन्दर्भ में आप को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप उपलब्ध करायी गयी सूचना का अधिकार 2005 के अपील में दिये गये जानकारी से भी सन्तुष्ट नहीं है तो आप कृपया दिनांक 26.09.2017 को सुबह 11.30 बजे, निदेशक/अपील अधिकारी के कार्यालय में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित हो कर जानकारी ले सकते हैं।

  
11/9/2017  
निदेशक  
अपीलेट अधिकारी





कार  
CAR

Telephones:

Off.(PBX) : 0184-2291119,  
: 2291519, 2291218

Fax : 91-184-2290480  
mailto:

Central Soil Salinity Research Institute,

Karnal- 132 001  
(Harvana) INDIA

①

N6.14(14)/C&B/Med./2014-15/

Dated : 7<sup>th</sup> July, 2015

Sub: Expenditure sanction for getting treatment from Metro Heart Institute, Sec.16-A,  
Faridabad

ISSUED UNDER RTI ACT

On the acceptance of request of Sh. Nathi Ram, Ex- Asstt. an expenditure sanction to get treatment from Metro Heart Institute, Sec.16-A, Faridabad, of Director, CSSRI, Karnal of Rs.180943/- (Rupees : One lakh eighty thousand nine hundred forty three only) is hereby conveyed in connection with the medical treatment of Sh. Nathi Ram, Ex- Asstt. from Metro Heart Institute, Sec.16-A, Faridabad, who is under treatment of CAD Unstable Angina.

This approval was made after concurrence of Audit.

The expenditure will be met out from Account ID 10 and Transaction Code No. 116023.

ISSUED UNDER RTI ACT

*Ranjit Singh*  
Asstt. Administrative Officer

DISTRIBUTION

- 1) Sh. Nathi Ram, Ex- Asstt., Vill. Uchani, Karnal
- 2) Finance & Accounts Officer, CSSRI, Karnal
- 3) Cash & Bill Section

*Shriya*  
6/9/17

*Ranjit Singh*  
6/9/17  
Asstt. Admn. Officer  
Central Soil Salinity Research Institute  
KARNAL



2

FINAL BILL BREAK UP

15/10715	BILL NO.	IB15-04211
NATHI RAM	BILL Date	24/May/15
S/O MR SUKH LAL		
VILL-UCHANI DIST-KARNAL	UHID	237891
Dr. S.S.bansal/Neeraj Jain/Chetan/Kamal/Ajay	Age	67 Yrs /M
CGHS (Cash)	Admission Date	22/May/2015 09:36 (DAY CARE-11)
9896538789	Discharge Date	24/May/2015 15:49 (CCU SD 20)

ISSUED UNDER RTI ACT

Description	Rate	Qty	Amount (Rs.)
<b>PACKAGE</b>			
62016 BALOON CORONARY ANGIOPLASTY/ PTCA with VCD (544)	83421	1	83,421.00
62016 CORONARY ANGIOGRAPHY (601)	11902	1	11,902.00
62016 IVUS (584)	28750	1	28,750.00
Total Amount (Rs.):			124,073.00
<b>PHARMACOLOGY</b>			
62016 COST OF DRUG COATED STENT	23625	2	47,250.00
Total Amount (Rs.):			47,250.00
ABCIXIREL 10MG.INJ.5ML.(Abciximab)	Batch No AMV1A150 02	Expiry Feb/2017	8100
			1
			8,100.00
Total Amount (Rs.):			8,100.00
Total Payable	:		179,423.00
Net Payable	:		1,79,423.00
Amount Deposit	:		1,79,423.00

Passed for Rs. \_\_\_\_\_

(Rupees) \_\_\_\_\_

ISSUED UNDER RTI ACT

D.D.O

METRO HEALTH SERVICES  
WITH MULTISPECIALITY  
Sector-16a, Faridabad 121001

*Ranjit Singh*  
Asstt. Admn. Officer



3

FINAL BILL BREAK UP

15/10/15	BILL NO.	IB15-04211
NATHI RAM	BILL Date	24/May/15
S/O MR SUKH LAL		
VILL-UCHANI DIST-KARNAL	UHID	237891
Dr. S.S.bansal/Neeraj Jain/Chetan/Kamal/AjayAge		67 Yrs /M
CGHS (Cash)	Admission Date	22/May/2015 09:36 (DAY CARE-11)
9896538789	Discharge Date	24/May/2015 15:49 (CCU SD 20)

ISSUED UNDER RTI ACT		Rate	Qty	Amount (Rs.)
Date	Description			Amount (Rs.)
21/05/2015	BY CASH			10,000.00
23/05/2015	BY CREDIT CARD(23/May/2015,0039,STATE BANK)			25,000.00
23/05/2015	BY CREDIT CARD(23/May/2015,8891,STATE BANK)			25,000.00
23/05/2015	BY CREDIT CARD(23/May/2015,2806,CANARA BANK)			25,000.00
23/05/2015	BY CREDIT CARD(23/May/2015,4613,PNB BANK)			10,000.00
24/05/2015	BY CREDIT CARD(24/May/2015,2806,canara bank)			25,000.00
24/05/2015	BY CREDIT CARD(24/May/2015,8891,sbi)			25,000.00
24/05/2015	BY CREDIT CARD(24/May/2015,0039,sbi)			24,423.00
24/05/2015	BY CASH			10,000.00
Total Amount (Rs.):				1,79,423.00

Processed for Ret. 179423  
 (R.S. No.) 3 नथी राम-वाट मा रईस

*Amrit Singh*  
 Asstt. Admn. Officer  
 Central Soil Sanility Research Institute  
 KARNAL

Attendant's Signature

Authorized Signatory



4

1

✓ I) The discharge slip of Mrs Sachdeva shows diagnosis as cataract only which is not an emergency.

ISSUED UNDER RTI ACT

✓ II) Mr. Bhokhara has submitted summary of emergency by the treating physician which may be considered.

ISSUED UNDER RTI ACT

Sh. BS.  
~~DDO~~ 11/7

*[Signature]*  
 11/07/2013

*[Signature]*  
 11/7/13 11/07/13

*[Signature]* 6/9/17

*[Signature]*  
 Asstt. Admn. Officer

Central Soil Sanility Research Institute  
 KARNAL

checklist Medical bill Sh. R.S. Sachdeva Ex-Asst

5

725  
6.11.13

1. Name of Patient : Smt. Surinder Kaur  
Relationship : wife
2. Name of Hospital : Kakkar Eye & Maternity Hospital, Model Town, KNL  
ISSUED UNDER RTI ACT
3. Private/Govt : Private
4. Date of Admit : 18.10.12  
Date of Discharge : 18.10.12
5. Total Expenditure : 15177/-
6. Case recommended by the emergency Committee  
Yes/No : Yes, but if acceptable to the office. ISSUED UNDER RTI ACT
7. Payable amount : 7500/-

DPD  
6/11/13  
office

Sh. R.S. Sachdeva Ex-Asst was submitted the Emergency Medical Bill of his wife Smt. Surinder Kaur for Rs- 15177/- of KAKKAR EYE Maternity Hospital Model Town, Karnal, which was sent to the Chairman Emergency Medical Committee (SSRI), Karnal and the Committee has not recommended the said case for. Emergency stated that however now a certificate has been produce (custodial case) Plagied A, if acceptable to the office they case may be considered. Accordingly the said case is put up to new Medical Emergency Committee for further order.

725  
6.11.13

DPD  
6/11/13

Submitted.

ISSUED UNDER RTI ACT

The Emergency <sup>treatment</sup> committee met on 07-01-14 at 4:00pm and went through all the documents related with the case. The committee observed that there was no

6/9/17

Asst. Admn. Officer  
Central Soil Sanility Research Instt  
KARNAL



emergency wo and the patient would have taken treatment in Govt Hospital/COHS Empanelled Hospital. Therefore, the case is not fit for reimbursement.

A  
07/11/14

DR  
R&A 07/11/14

Ranjit Siml  
DDO 27/11/14

(A.O.)

ISSUED UNDER RTI ACT

The recommendations of committee may be approved.

ISSUED UNDER RTI ACT

Director

A  
08/11/14

Approved (A)


Shrid  
9/11/14

मान कोषिण्य आदेश एफएनए

B-5  
5/11/14

कु सुन्दर  
डा. सुन्दर  
15/11/14  
DDO

ISSUED UNDER RTI ACT



फनाइल  
डायरी नो 19/11  
दिनांक 9/11/14

Shrid 9/11/14

Ranjit Siml  
Asstt. Admn. Officer  
Central Soil Sanitation Research Institute  
KARNAL



7

भा0कृ0अनु0परि0-केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान,

करनाल-132 001.(हरियाणा)

फा.स. आर.टी.आई/मैडिकल/2017-18/ 1852-53

दिनांक: 8.9.2017.

विषय:- मैडिकल बिल में रुपये 44625/-की अधिक राशि के भुगतान की वसूली के संदर्भ में ।

आपका ध्यान आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 23.2.2015 पर आकर्षित किया जाता है जिसके तहत आपने अपने पति का हृदय रोग का ईलाज पी.जी.आई. चण्डीगढ़ में करवाने के उपरांत रुपये 1,11,635/-का मैडिकल बिल भुगतान हेतु कार्यालय में प्रस्तुत किया था। कार्यालय आदेश संख्या 2(2)/सी.एण्ड बी/2014-15 दिनांक 16 मार्च, 2015 के अनुसार आपको 1,11,614/-रुपये का भुगतान किया गया । जबकि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के Office Memorandum No. Misc.1002/ 2006/ CGHS (R&H (/CGHS(P) dated 29.4.2014 के अनुसार (कापी संलग्न) आपको एक स्टंट का भुगतान रुपये 23625/-किया जाना था।

इस संदर्भ में आप द्वारा प्रस्तुत मैडिकल बिल की पुनः जांच करने पर पाया गया कि आपने केवल एक स्टंट डलवाया है, जिसकी अदायगी 65,000/+3250 वेट चार्ज सहित कुल 68250/-रुपये अदायगी की गई है। जोकि भारत सरकार के निदेशानुसार अधिक पायी गयी। आपको केवल रुपये 23625/-ही देय बनते थे जबकि भुगतान 41,375+3250=44,625/-रुपये किया गया है। अतः आपको 44625/-रुपये का अधिक भुगतान किया गया है।

इसलिए आपसे अनुरोध है कि दिनांक 15.9.2017 तक 44,625/-रुपये कौशियर के पास जमा करवा कर रसीद कार्यालय में जमा करवाये।

यह पत्र निदेशक महोदय की स्वीकृति से जारी किया जा रहा है।

श्रीमति मीना लूथरा, तक.अधिकारी  
द्वारा नियन्त्रण अधिकारी, पुस्तकालय

अशिक्षक श्रीवास्तव  
08-09-17  
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी  
एक जोश-भक्त  
27/9/17  
Eswan

प्रतिलिपि:- निजी सचिव, निदेशक को सूचनार्थ हेतु।



8

भा0कृ0अनु0परि0-केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान,

करनाल-132 001.(हरियाणा)

*[Handwritten Signature]*

दिनांक: 8.9.2017.

फा.स. आर.टी.आई./मैडिकल/2017-18/ 1854-55

श्री दीप चन्द, भूतपूर्व चालक  
गांव सैदपुरा, डाक सी.एस.एस.आई.आई., करनाल  
करनाल-132 001.

विषय:- मैडिकल बिल में रूपये 16,375/-की अधिक राशि के भुगतान की वसूली के संदर्भ में ।

श्रीमान जी,

आपका ध्यान आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 11.4.2016 पर आकर्षित किया जाता है जिसके तहत आपने हृदय रोग का ईलाज संजीव बंसल सिग्नेस अस्पताल, करनाल में करवाने के उपरांत रूपये 1,29,151/-का मैडिकल बिल भुगतान हेतु कार्यालय में प्रस्तुत किया था। कार्यालय आदेश संख्या 2(6)/सी.एण्ड बी/2015-16 दिनांक 24 मई, 2016 के अनुसार आपको 1,27,602/-रूपये का भुगतान किया गया । जबकि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के Office Memorandum No. Misc.1002/ 2006/ CGHS (R&H/CGHS(P) dated 29.4.2014 के अनुसार (कापी संलग्न) आपको एक स्टंट का भुगतान रूपये 23625/-किया जाना था।

इस संदर्भ में आप द्वारा प्रस्तुत मैडिकल बिल की पुनः जांच करने पर पाया गया कि आपने केवल एक स्टंट डलवाया है, जिसकी अदायगी 40,000/-रूपये अदायगी की गई है। जोकि भारत सरकार के निदेशानुसार अधिक पायी गयी। आपको केवल रूपये 23625/-ही देय बनते थे जबकि भुगतान 40,000/-रूपये किया गया है। अतः आपको 16375/-रूपये का अधिक भुगतान किया गया है।

इसलिए आपसे अनुरोध है कि दिनांक 15.9.2017 तक 16,375/-रूपये कैशियर के पास जमा करवा कर रसीद कार्यालय में जमा करवाये।

यह पत्र निदेशक महोदय की स्वीकृति से जारी किया जा रहा है।

प्रतिलिपि:- निजी सचिव, निदेशक को सूचनार्थ हेतु।

अभिषेक श्रीवास्तव  
08-09-17  
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी  
*[Handwritten Signature]*  
8/9/17



भा0कृ0अनु0परि0-केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान सरंथान,  
करनाल-132 001.(हरियाणा)

फा.स. आर.टी.आई/मैडिकल/2017-18/ 1850-51

दिनांक: 8.9.2017.

विषय:- मैडिकल बिल में रूपये 18375/-की अधिक राशि के भुगतान की वसूली के संदर्भ में ।

आपका ध्यान आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 11.4.2016 पर आकर्षित किया जाता है जिसके तहत आपने हृदय रोग का ईलाज पी.जी.आई. चण्डीगढ में करवाने के उपरांत रूपये 70,211/-का मैडिकल बिल भुगतान हेतु कार्यालय में प्रस्तुत किया था। कार्यालय आदेश संख्या 2(1)/सी.एण्ड बी/2016-17 दिनांक 6 जून, 2016 के अनुसार आपको 70,211/-रूपये का भुगतान किया गया । जबकि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के Office Memorandum No. Misc.1002/ 2006/ CGHS (R&H/(CGHS(P) dated 29.4.2014(कापी संलग्न) के अनुसार आपको एक स्टंट का भुगतान रूपये 23625/-किया जाना था।

इस संदर्भ में आप द्वारा प्रस्तुत मैडिकल बिल की पुनः जांच करने पर पाया गया कि आपने केवल एक स्टंट डलवाया है, जिसकी अदायगी 40,000/+2000 वेट चार्ज सहित कुल 42000/-रूपये अदायगी की गई है। जोकि भारत सरकार के निदेशानुसार अधिक पायी गयी। आपको केवल रूपये 23625/-ही देय बनते थे जबकि भुगतान 40000+2000=42000रु. किया गया है। अतः आपको 18375/-रूपये का अधिक भुगतान किया गया है।

इसलिए आपसे अनुरोध है कि दिनांक 15.9.2017 तक 18375/-रूपये कौशियर के पास जमा करवा कर रसीद कार्यालय में जमा करवाये।

यह पत्र निदेशक महोदय की स्वीकृति से जारी किया जा रहा है।

अभिषेक शीवाचल  
08-09-17  
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी  
ए/सी जोगलदान 8/9/17

श्री जगदीश कुमार अरोड़ा, तकनीकी सहायक  
द्वारा प्रभागाध्यक्ष, मृदा एवं फसल प्रबन्ध प्रभाग।

प्रतिलिपि:- निजी सचिव, निदेशक को सूचनार्थ हेतु।